



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>11.02.2020</p>	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, धनबाद</b> <b>आर्बिट्रेटर केस नं०-67/2019</b></p> <p>चिन्ता देवी <span style="margin-left: 100px;">-बनाम्-</span> <span style="margin-left: 100px;">भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य</span></p> <p>दावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अंतर्गत मौजा-मुगमा, मौज सं०-69, खाता नं०-34, प्लॉट सं०-628 रकवा-05 डी० भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थ विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।</p> <p>आवेदक के आवेदन पत्र एवं अधिवक्ता के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि उक्त भूमि आवासीय भूमि है, जबकि कृषि भूमि के दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। मुआवजा राशि का भुगतान वर्ष 2010-11, 11-12 एवं 12-13 के आधार पर किया गया है, जबकि वर्ष 2016-17 के आधार पर आवासीय दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का आवासीय भूमि के दर पर पुर्नमूल्यांकन कर वर्तमान दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।</p> <p>अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन०एच०ए०आई० को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जाँच करते हुए अवस्थित संरचना वाले भू-खण्ड का आवासीय प्रकृति पर जाँचोपरान्त नियमानुसार राशि की पुर्नमूल्यांकन कर निर्धारित दर पर मुआवजा राशि आवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करें। तथा बिना संरचना वाले खाली पड़े हुए भूमि का मुआवजा राशि के भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">   अपर समाहर्ता  -सह-  आर्बिट्रेटर धनबाद। </p> <p style="text-align: center;">   अपर समाहर्ता  -सह-  आर्बिट्रेटर धनबाद। </p>	